

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 1(11)एम.ई./ग्रुप-1/2015

जयपुर, दिनांक: 5/4/2021

आदेश

पैथोलोजी विशिष्टता के चिकित्सक शिक्षकों की वर्ष 2020-21 के लिए पदोन्नति हेतु राजस्थान चिकित्सा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1962 के नियम 24खख के उप नियम-5 के तहत गठित डायनेमिक एसोर्ड केरियर प्रोगेशन (डी.ए.सी.पी.) स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिनांक 25.06.2020 में डॉ. संजय प्रकाश, आचार्य, पैथोलोजी के विरुद्ध तत्समय कार्मिक (क-3) जांच विभाग के ज्ञापन क्रमांक प. 1(212) कार्मिक/क-3/जांच/2017 दिनांक 13.11.2017 के द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के तहत विभागीय जांच लम्बित होने के कारण आचार्य से वरिष्ठ आचार्य के पद पर पदोन्नति की अनुशंसा सील बन्द लिफाफे में रखी गयी थी।

कार्मिक (क-3/जांच) विभाग के आदेश क्रमांक प.1(212)/कार्मिक/क-3/जांच/2017 दिनांक 28.12.2020 के द्वारा उक्त विभागीय जांच प्रकरण में डॉ. संजय प्रकाश, आचार्य को दोषमुक्त कर प्रकरण को समाप्त किया गया है। फलस्वरूप इनकी पदोन्नति के संबंध में अनुशंसा का सीलबंद लिफाफा नियमानुसार खोला गया। डी.ए.सी.पी. स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिनांक 25.06.2021 में डॉ. संजय प्रकाश को वर्ष 2020-21 के लिए वरिष्ठ आचार्य, पैथोलोजी के पद पर पदोन्नत करने की अनुशंसा की गई है।

अतः डी.ए.सी.पी. स्क्रीनिंग कमेटी की अनुशंसा पर डॉ. संजय प्रकाश को डीएसीपी स्कीम के तहत निम्नानुसार पदोन्नति प्रदान की जाती है:-

क्र.सं.	नाम चिकित्सक शिक्षक	वर्तमान पद	पदोन्नति पद	पदोन्नति तिथि
1.	डॉ. संजय प्रकाश	आचार्य	वरिष्ठ आचार्य	01.04.2020

आज्ञा से,

5/4/2021
(सुनील शर्मा)

संयुक्त शासन सचिव

क्रमशः-2

(2)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राज., जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज अजमेर/बीकानेर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/उदयपुर।
6. ए.सी.पी. चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. संबंधित चिकित्सक शिक्षक द्वारा प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज।
8. रक्षित पत्रावली।

5/4/2021
संयुक्त शासन सचिव